न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 141/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/212**

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी लूनकरणसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. उम्मेदमल बोथरा पुत्र श्री सोहनलाल बोथरा लूनकरणसर बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर जिला बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री नरेन्द्र सिह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलांट
श्री विनोद पुरोहित एवं चन्द्रशेखर छंगाणी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

निर्णय

दिनांक 11.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के निर्णय दिनांक 27.06.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 318 तादादी 10.23 हैक्टयर रोही गांव कालवास तहसील लूनकरणसर में स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंवर 311 तादादी 6.3200 हैक्टयर भूमि क सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह(पत्थर गढ़ी) कायम कराने हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकर कर पत्थर गढी करवाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के उक्त आदेश दिनांक 27.06.2025 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी वहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांअ को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का सवूत पेश करने का मौका देना थां। जमीन नापने और उसमें

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कम–ज्याद होती है तो उसके लिए अपीलांट भी तैयार है कि जमीन जो अपीलांट क पुश्तैनी तौर पर काबिज काश्त है और नक्शे के अनुरूप अपीलांट मालिक है तो यह प्रश्न विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को सुनने का अवसर देना न्याय हित में जरूरी था। अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि पर सन 1977 से लगातार मौका एवं स्थिति पर काश्त करता आ रहा है। जो नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हैं उस पर ही उसके पूर्वज काश्त करते थे और अब अपीलांट काश्त कर रहा है जिसके पडौसी अपने अपने खसरों पर काबिज काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु एक वादपत्र प्रस्तुत किया। उस वादपत्र के अनुसार अपीलांट का पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तरह को मौका नही देकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को फायदा पहुंचाने के लिए आदेश पारित किया और अपीलांट को यह कहा गया कि आप इस कागज पर दस्तखत कर दो दोनों पक्षों को सुन करके आपसे पर्याप्त सबूत लिया जाकर आदेश पारित किया जायेगा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने बिना जवाब प्रस्तुत किये विधि सलाहकार को नियुक्त करने का मौका भी नही दिया गया और आनन–फानन में अपीलांट के पीठ पीछे आदेश पारित किया। अपीलांट द्वारा अपनी जमीन को नापने एवं सीमाज्ञान कराने हेतु दिनांक 05.01.2025 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था उस आवेदन का निस्तारण नही करके अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 311 तादादी 6.3200 हैक्टयर ग्राम कालवास में स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट का कब्जा निरन्तर चला आ रहा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपरोक्त भूमि राजस्व नक्शा में तरमीशुद्वा है। अपीलांट की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि के दक्षिण में खसरा नंबर 318 में स्थित हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि अलग अलग खसरा नंबर में स्थित हैं एवं दोनों नक्शा में अलग से तरमीमशुदा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि पर तहसीलदार के आदेश पर सीमाज्ञान के समय हल्का पटवारी द्वारा सीमा कायम कर कच्चे चिन्ह लगवाये थे लेकिन अपीलांट उक्त सीमा चिन्ह पर पत्थर गढी नही करने दे रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी करवाने के सवैंधानिक अधिकार है। अपीलांट का कथन है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में सुना नही गया है लेकिन अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कार्यवाही में हाजिर था उसके हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दर्ज है। अतः उपरोक्त आधारो पर अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2025 करते समय अपीलांट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि तहसीलदार लूनकरणसर के आदेश दिनांक 16.04.2025 की पालना में पटवार हल्का द्वारा जो ग्राम रोही कालवास के खसरा नंबर 311 का सीमाज्ञान किया गया है वह फर्दमौका बनाकर, पढकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर करवाकर किया गया है और उक्त खसरा नंबर 311 तादादी 6.3200 हैक्टयर भूमि के सीवजोड काश्तकार को सूचित कर टीम गठन कर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश पारित किए हैं। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार उचित है हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग-बीकानेर

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर